

गोबरधन के लिये एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च

प्रलिस के लिये:

[गोबरधन योजना, बायोगैस/संपीडित बायोगैस, मशिन लाइफ](#)

मेन्स के लिये:

गोबरधन का महत्त्व और लाभ, अपशषिट से ऊर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोबरधन के लिये एकीकृत पंजीकरण पोर्टल को कचरे को धन में बदलने तथा सर्कुलर इकोनमी को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल के एक हस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

पोर्टल की मुख्य वशिषताएँ:

परचिय:

- जल शक्तिमंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता वभाग (DDWS) ने बायोगैस/संपीडित बायोगैस (CBG) संयंत्रों की स्थापना की सुवधि के लिये यह पोर्टल वकिसति किया है।

उद्देश्य और कार्यक्षेत्र:

- यह पोर्टल संपूर्ण भारत के स्तर पर बायोगैस/CBG क्षेत्र में नविश और भागीदारी का आकलन करने के लियेकल कोष के रूप में कार्य करता है।
- यह CBG/बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थति करता है

नामांकन:

- भारत में बायोगैस/CBG/बायो CNG संयंत्र स्थापति करने का इच्छुक कोई भीसरकारी, सहकारी या नजिी संस्था पोर्टल में नामांकन कर सकती है और पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकती है।
 - पंजीकरण संख्या भारत सरकार के मंत्रालयों और वभागों से वभिन्नि लाभों एवं सहायता तक पहुँच को सक्षम बनाती है।
- राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे केंद्र सरकार से मौजूदा और आगामी सहायता प्राप्त करने के लिये पोर्टल पर अपने CBG/बायोगैस संयंत्र संचालकों के पंजीकरण को प्राथमकता दें।

लाभ:

हतिधारकों की भागीदारी:

- पोर्टल का शुभारंभ सहकारी संघवाद को प्रदर्शति करता है, जसिमें केंद्रीय मंत्रालयों के हतिधारक, केंद्र एवं राज्यों के वभाग इसके वकिस और तैनाती में सहयोग कर रहे हैं।
- केंद्रीय जल शक्तिमंत्रि ने 650 से अधिक गोबरधन संयंत्रों और एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से अपशषिट से धन सृजन में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों पर ज़ोर दिया।

व्यापार करने में आसानी:

- पोर्टल व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चति करता है और बायोगैस/सीबीजी क्षेत्र में नजिी कंपनियों से अधिक नविश आकर्षति करता है।

जलवायु कार्यवाही लक्ष्य के साथ संरेखति:

- यह भारत के जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों के साथ संरेखति है जो स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य परणामों को बढ़ावा देता है। इसके साथ सतत वकिस लक्ष्यों (SDG) और भारत सरकार के मशिन LiFE में भी योगदान देता है।

सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला:

- केंद्र सरकार का उद्देश्य बायोमास एकत्रीकरण, ग्रडि पाइपलाइन कनेक्टविटी, जैविकि खेती प्रथाओं, अनुसंधान एवं वकिस और हतिधारकों के साथ नरितर जुड़ाव के माध्यम से CBG/बायोगैस आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना है।

गोबरधन (GOBARdhan) पहल:

■ परिचय:

- गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रसोर्सिज़ धन (GOBARdhan) भारत सरकार के **जल शक्ति मंत्रालय** की एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- वर्ष 2018 में सरकार ने इस योजना को **स्वच्छ भारत मशिन ग्रामीण चरण II** कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजना के रूप में लॉन्च किया।

■ उद्देश्य:

- गाँवों द्वारा सुरक्षित रूप से अपने मवेशियों के अपशषिट, कृषि अपशषिट और लंबे समय तक सभी जैविक अपशषिट का प्रबंधन करने में सहायता करना।
- समुदायों का समर्थन करने हेतु **वर्किकृत प्रणालियों का उपयोग करके मवेशियों और जैविक अपशषिट को पूंजी में परिवर्तित** करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अपशषिट के प्रभावी नपिटान के माध्यम से पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना और **वेक्टर जनित रोगों पर अंकुश** लगाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिये जैविक अपशषिट, विशेष रूप से मवेशियों के अपशषिट को **बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तित** करना।

■ संभावित लाभ:

- प्रभावी बायोडिग्रेडेबल अपशषिट प्रबंधन।
- GHG उत्सर्जन में कमी।
- कच्चे तेल के आयात में कमी।
- स्थानीय समुदायों के लिये रोज़गार का अवसर।
- उद्यमिता को बढ़ावा।
- जैविक अपशषिट से कसानों/स्थानीय ग्रामीण समुदायों के लिये अतिरिक्त आय।
- जैविक खेती को बढ़ावा।

■ योजना का मॉडल:

○ व्यक्तिगत घरलू:

- यह मॉडल उन परिवारों द्वारा अपनाया जा सकता है जिनके पास तीन (3) या अधिक मवेशी हैं। संयंत्रों से उत्पन्न बायोगैस और घोल का उपयोग घरों में खाना पकाने और खाद के रूप में किया जाता है।

○ समुदाय:

- बायोगैस संयंत्र न्यूनतम घरों (5 से 10) के लिये बनाए जा सकते हैं। संयंत्रों का संचालन और प्रबंधन GP/SHG द्वारा किया जा सकता है।
- उत्पन्न गैस की आपूर्ति घरों/रेस्तराँ/संस्थानों को की जाएगी और घोल का समुदाय द्वारा कृषि में जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है या कसानों को बेचा जा सकता है।

○ समूह:

- इस मॉडल में एक ग्राम/ग्राम समूह में घरों की संख्या के अनुसार व्यक्तिगत रूप से बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जाते हैं।
- उत्पन्न बायोगैस का उपयोग घरों में किया जाता है और **घोल को एक सामान्य स्थान पर एकत्र किया जाता है**, जिसे ठोस और तरल रूप में अलग किया जाता है तथा इसे प्रस्फुटित करके जैव उर्वरक के रूप में बेचा जाता है।

○ वाणजियिक CBG:

- CBG संयंत्र उद्यमियों/सहकारी समितियों/गौशालाओं आदि में स्थापित किये जा सकते हैं।
- उत्पादित कच्ची बायोगैस को संपीडित किया जाता है और **इसे वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या उद्योगों को बेचा जा सकता है।**
- उत्पन्न घोल को **जैविक खाद/जैव उर्वरक में परिवर्तित** कर कसानों को बेचा जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नरितर उत्पन्न किये जा रहे और फेंके गए ठोस कचरे की वशाल मात्रा का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशषिटों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018)

स्रोत: पी.आई.बी.